

प्रारंभिक परीक्षा

खारे पानी का मगरमच्छ (Saltwater Crocodile)

संदर्भ

राज्य वन विभाग के नवीनतम सर्वेक्षण में पाया गया है कि विश्व के सबसे बड़े सरीसृपों में से एक खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी पिछले वर्ष की तुलना में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व (SBR) में बढ़ी है।

खारे पानी के मगरमच्छ के बारे में -

- विश्व का सबसे बड़ा एवं भारी जीवित सरीसृप।
- वैज्ञानिक नाम: क्रोकोडाइलस पोरोसस
- इसे एस्टुअरीन क्रोकोडाइल, इंडो-पैसिफिक क्रोकोडाइल, मरीन क्रोकोडाइल, सी क्रोकोडाइल या अनौपचारिक रूप से "सॉल्टी" भी कहा जाता है।
- यह एक शीर्ष शिकारी है, जिसकी भोजन संबंधी आदतें अत्यधिक मांसाहारी और अवसरवादी होती हैं।
- वितरण: खारे पानी और खारे आर्द्रभूमि में पाया जाता है - भारत के पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व एशिया और सुंडा क्षेत्र से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोनेशिया तक।



प्रमुख विशेषताएँ -

- औसत नर: लगभग 5 मीटर लंबा, ~500 किग्रा.
- औसत मादा: 3 मीटर से कम लम्बी, <100 किग्रा.
- रंग: गहरा हरा-भूरा, हल्का निचला भाग, जलीय आवासों में छलावरण में सहायक।
- सुरक्षा के लिए मजबूत शल्कों के साथ मोटी, कवचयुक्त त्वचा होती है।
- स्वभाव से एकाकी, विशेषकर वयस्क नर।
- अत्यंत क्षेत्रीय (Territorial) — बड़े नर अक्सर नदियों, मुहानों या तटीय क्षेत्रों के लंबे हिस्सों पर प्रभुत्व जमाए रहते हैं।

संरक्षण की स्थिति -

- IUCN रेड लिस्ट में 'सबसे कम चिंताजनक' के रूप में सूचीबद्ध।

स्रोत: द हिंदू

एशियाई पाम सिवेट (Asian Palm Civet)

संदर्भ

हाल ही में एक असामान्य घटना में, केरल उच्च न्यायालय के कक्ष संख्या 1 की कार्यवाही बाधित हो गई जब एक दुर्गंध जिसका कारण एशियाई पाम सिवेट था, ने सत्र को प्रभावित कर दिया।

एशियाई पाम सिवेट के बारे में -

- इसे टोडी कैट या कॉमन पाम सिवेट के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक छोटा रात्रिचर स्तनपायी जीव है जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है - जिसमें भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस शामिल हैं।
- विवरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें अन्य सिवेट और नेवले भी शामिल हैं।
- वैज्ञानिक नाम: पैराडॉक्सुरस हेर्मेफ्रोडिटस



प्रमुख विशेषताएँ -

- लम्बा, पतला शरीर, छोटे पैर और नुकीली थूथन।
- आकार: लंबाई 53-71 सेमी (पूछ सहित); वजन: 2-5 किलोग्राम।
- फर: काले धब्बों के साथ भूरा-स्लेटी; आंखों के चारों ओर स्पष्ट सफेद मास्क जैसे निशान।
- आहार: सर्वाहारी - फल, कीड़े और छोटे स्तनधारी जीव खाता है।
- कॉफी बीन्स को पचाने के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग विश्व प्रसिद्ध "सिवेट कॉफी" के उत्पादन में किया जाता है।
- इसमें गंध की तीव्र अनुभूति और उत्कृष्ट चढ़ाई क्षमता होती है, जिससे यह पेड़ों पर भोजन ढूँढ़ने में सक्षम होता है।
- मुख्यतः एकान्तप्रिय एवं रात्रिचर व्यवहार।

संरक्षण की स्थिति -

- आईयूसीएन रेड लिस्ट में 'सबसे कम चिंताजनक' के रूप में सूचीबद्ध।

स्रोत: [द हिंदू](#)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(NCPCR)

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2022 के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों के विवाह को मान्यता दी गई थी — भले ही यह पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत क्यों न हो।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) -

- **बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत गठित।**
- **कार्य:** भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
- इसके अलावा यह निम्नलिखित के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है:
 - पोक्सो अधिनियम, 2012
 - किशोर न्याय अधिनियम, 2015
 - शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009
- **भारत ने 1992 में बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRC) में प्रवेश किया।**

संघटन -

- **अध्यक्ष:** बाल कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति।
 - **कार्यकाल:** 3 वर्ष या 65 वर्ष तक (अधिकतम 2 कार्यकाल)।
- **6 सदस्य:** कम से कम 2 महिलाएं, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल विकास, किशोर न्याय, बाल श्रम उन्मूलन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या बाल कानून जैसे क्षेत्रों से।
 - **कार्यकाल:** 3 वर्ष या 60 वर्ष तक (अधिकतम 2 कार्यकाल)।
- **नियुक्ति:** केन्द्र सरकार द्वारा।
 - शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष।
- **निष्कासन:** केन्द्रीय सरकार द्वारा दिवालियापन, विकृत मस्तिष्क, अक्षमता, पद का दुरुपयोग, नैतिक पतन के लिए दोषसिद्धि आदि के आधार पर।

कार्य और जिम्मेदारियाँ -

- बाल अधिकार संरक्षण के लिए उपायों की समीक्षा करना और सिफारिश करना।
- सुरक्षा उपायों और उनकी प्रभावशीलता पर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करना।
- बाल देखभाल संस्थानों, किशोर गृहों का निरीक्षण करना और उपचारात्मक उपाय सुझाना।
- बाल अधिकारों पर अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देना।
- बाल अधिकारों के उल्लंघन और कानूनों के गैर-कार्यान्वयन पर स्वतः संज्ञान लेना।
- **विशिष्ट कार्य:**
 - **आरटीई अधिनियम (2009):** बाल अधिकार सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा।
 - **पोक्सो अधिनियम (2012):** विशेष न्यायालयों के पदनाम एवं दिशा-निर्देशों की निगरानी करना।
 - **बाल देखभाल संस्थान (CCI):** कार्यप्रणाली की निगरानी करना तथा सामाजिक लेखा परीक्षा करना (उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार)।

शक्तियाँ -

- **सिविल न्यायालय की शक्तियाँ:**
 - गवाहों को बुलाना, शपथ पर जांच करना।
 - दस्तावेज़ और सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना।

- शपथपत्र स्वीकार करना।
- गवाहों की जांच के लिए आयोग जारी करना।
- **जाँच के बाद यह कर सकता है:**
 - अभियोजन (Prosecution) की सिफारिश।
 - सर्वोच्च न्यायालय (SC) / उच्च न्यायालय (HC) से रिट या दिशा-निर्देश के लिए संपर्क।
 - पीड़ितों या उनके परिवार को अंतरिम राहत की सिफारिश।

महत्वपूर्ण पहल -

- **पोक्सो ई-बॉक्स:** बाल यौन शोषण की शिकायत के लिए ऑनलाइन प्रणाली।
- **संवर्धन (Samvardhan):** बाल तस्करी से निपटने के लिए संवेदनशीलता मानचित्रण कार्यक्रम।
- **MA SI ऐप:** CCI (बाल देखभाल संस्थानों) की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए ऐप।
- **घर पोर्टल (GHAR Portal):** बच्चों के पुनर्वास और पुनर्मिलन ("Go Home and Re-Unite") के लिए पोर्टल।

चुनौतियाँ और सीमाएँ -

- सिफारिशों को लागू करने की सीमित शक्ति।
- संसाधन की कमी (वित्तीय एवं जनशक्ति)।
- पूछताछ/जांच के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है।
- व्यापक अधिदेश → बच्चों से संबंधित सभी मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की सीमित क्षमता।

सुधार के लिए सिफारिशें -

- वित्तपोषण और संसाधनों में वृद्धि।
- कानूनी शक्तियों को मजबूत करना (अनिवार्य आदेश, जुर्माने लगाने की शक्ति)।
- जागरूकता का विस्तार, विशेष रूप से वंचित समूहों में।
- सिफारिशों को लागू करने के लिए अधिक अधिकार प्रदान करना।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी को प्राथमिकता देना।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR)

- **CPCR अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सरकारों द्वारा स्थापित।**
- अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है (बाल विभाग के मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर)।
- संरचना, पात्रता और कार्यकाल **NCPCR** के समान हैं।

स्रोत: [द हिंदू](#)

NPA और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

संदर्भ

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों का एनपीए (NPA) अनुपात मार्च 2018 के 5.47% से बढ़कर मार्च 2025 में 9.81% हो गया है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के बारे में -

- यह एक ऋण या अग्रिम है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि तक बकाया रहता है।
- वर्गीकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार):
 - अवमानक परिसंपत्तियां: वे परिसंपत्तियां जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए NPA बनी हुई हैं।
 - संदिग्ध परिसंपत्तियां: वह परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि तक अवमानक श्रेणी में बनी रही हो।
 - हानि वाली परिसंपत्तियां: इसे "असंग्रहणीय" या इतने कम मूल्य का माना जाता है कि बैंक योग्य परिसंपत्ति के रूप में इसे जारी रखना उचित नहीं है, हालांकि इसमें कुछ वसूली मूल्य हो सकता है।
- किसी भी बैंक की NPA स्थिति को समझने में हमारी मदद करने वाले मीट्रिक्स:
 - सकल NPA: यह बैंकों के कुल NPA को संदर्भित करता है।
 - शुद्ध NPA: शुद्ध NPA की गणना सकल NPA-प्रावधान राशि के रूप में की जाती है।
 - अर्थात् शुद्ध NPA बैंक द्वारा इसके लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाने के बाद NPA का सटीक मूल्य बताता है।

प्रावधान (Provisioning) क्या है?

- प्रावधान एक ऐसा तंत्र है जो खराब परिसंपत्तियों (Bad Assets) के जोखिम को कम करने के लिए अपनाया जाता है।
- इसके अंतर्गत, बैंकों को अपनी खराब परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत अलग रखकर (राशि प्रदान करके) सुरक्षित करना होता है।
- खराब परिसंपत्तियों के जिस प्रतिशत को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, उसे प्रावधान कवरेज अनुपात (Provisioning Coverage Ratio) कहते हैं।

विशेष उल्लेख खाते (SMA) -

- आरबीआई द्वारा शुरू किया गया तंत्र।
- यह क्या है?: ये वे खाते हैं जो अभी तक NPA नहीं बने हैं, लेकिन यदि कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई तो ये खाते भविष्य में NPA बन सकते हैं।
- उद्देश्य: बैंकों और एनबीएफसी की परिसंपत्तियों में उभरते तनाव की पहचान करना।
- श्रेणियाँ:
 - SMA-0: मूलधन या ब्याज का भुगतान 30 दिनों से अधिक समय से बकाया नहीं है, लेकिन खाते में प्रारंभिक तनाव के संकेत दिख रहे हैं।
 - SMA-1: 31-60 दिनों के बीच बकाया मूलधन या ब्याज भुगतान।
 - SMA-2: 61-90 दिनों के बीच बकाया मूलधन या ब्याज भुगतान।



Related Information

- **Written Off Assets:** Assets which are not counted by the lender or Banks for balance sheet purposes. Loan write off does not mean loan waive off. It is majorly a balance sheet correction activity carried out by banks.
- **Slippage Ratio:** It is the rate at which good loans are turning bad.
- **Provisioning Coverage Ratio (PCR):** A certain percentage of a bank's profits to cover risk arising from NPAs.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के बारे में -

- यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है।
- वित्तपोषण प्रावधान:
 - मुद्रा (MUDRA) का तात्पर्य माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी लिमिटेड है, जो सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है।
 - ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं।
 - मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमियों/व्यक्तियों को सीधे ऋण नहीं देती है।
 - लाभार्थी सूक्ष्म इकाई के विकास के चरण और वित्तपोषण आवश्यकताओं के अनुसार, मुद्रा के अंतर्गत तीन उत्पाद बनाए जाते हैं।
 - शिशु: ₹ 50,000 तक।
 - किशोर: ₹ 50,000 - ₹ 5 लाख।
 - तरुण: ₹ 5 लाख - ₹ 10 लाख।
 - तरुण प्लस: ₹ 10 लाख - ₹ 20 लाख (यह उन उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुकाए हैं)।
- सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) के अंतर्गत 20 लाख रुपये तक की राशि के गारंटी कवरेज ऋण प्रदान किए जाएंगे।
 - CGFMU एक सरकार समर्थित पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करना है।
 - 2015 में स्थापित इस फंड का प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा किया जाता है।
- मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण बिना किसी जमानत के दिए जाते हैं।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? (2016)

- (a) छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
- (b) गरीब किसानों को विशेष फसलों की खेती के लिए ऋण प्रदान करना
- (c) वृद्ध एवं निराश्रित व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना
- (d) कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में शामिल स्वैच्छिक संगठनों को वित्तपोषित करना

उत्तर: (a)

स्रोत: द हिंदू

संपादकीय सारांश

भारत में बौनापन(Stunting in India)

संदर्भ

- **NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौने(स्टंटेड) हैं, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है।**
 - पोषण अभियान (2018) और मिशन 25 (2022 तक स्टंटिंग घटाने का लक्ष्य) जैसी पहलों के बावजूद प्रगति नगण्य रही है, जो गहरी जड़ें जमाए पोषण संकट को रेखांकित करती है।

भारत में बौनापन का संकट क्यों बना हुआ है - कारकों का एक जटिल जाल

- **मातृ स्वास्थ्य और किशोर गर्भावस्था:** 15-19 वर्ष की आयु की लगभग 7% महिलाओं ने प्रसव शुरू कर दिया था (2019-21)।
 - किशोर माताओं को कम वजन वाले शिशुओं और खराब देखभाल के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- **खराब मातृ पोषण और एनीमिया:** 57% महिलाएं (15-49 वर्ष) और पांच वर्ष से कम आयु के 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं।
 - कम पोषक तत्वों (आयरन, फोलेट, प्रोटीन) का सेवन भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है।
- **शिशु एवं छोटे बच्चों को अपर्याप्त आहार:** छह महीने से कम उम्र के केवल 64% शिशुओं को ही विशेष रूप से स्तनपान कराया जाता है।
 - सी-सेक्शन (2021 में 22% जन्म) प्रारंभिक स्तनपान और कोलोस्ट्रम फीडिंग को बाधित करता है।
 - केवल 11% बच्चे (6-23 महीने) न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त कर पाते हैं।
- **आहार की खराब गुणवत्ता:** कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का प्रभुत्व है, तथा प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन बहुत कम है।
 - गरीब/आदिवासी परिवारों में अंडे, दालें, सब्जियां और दूध तक सीमित पहुंच।
- **शैक्षिक विभाजन:** 46% बच्चे, जिनकी माताएँ अशिक्षित हैं, स्टंटेड(बौने) हैं, जबकि 12+वर्ष शिक्षित माताओं के बच्चों में यह दर 26% है।
 - शिक्षा प्रसवपूर्व देखभाल, पोषण और कम उम्र में विवाह को रोकने पर प्रभाव डालती है।
- **असुरक्षित स्वच्छता एवं जल:** 19% परिवार अभी भी खुले में शौच करते हैं।
 - खराब स्वच्छता के कारण दस्त और आंत में संक्रमण होता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है (आंत्र संबंधी विकार)।

इसका समाधान क्या हो सकता है?

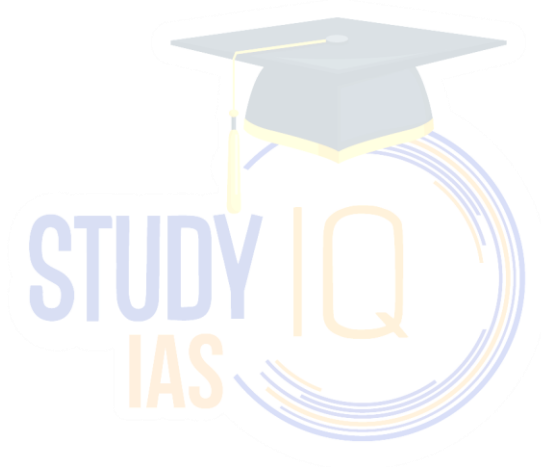
- **मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण को सुदृढ़ बनाना:** किशोरियों के लिए केंद्रित हस्तक्षेप: आयरन-फोलिक एसिड की खुराक, स्कूल-आधारित पोषण कार्यक्रम।
 - सख्त प्रवर्तन और जागरूकता के माध्यम से बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण को रोकना।
- **शिशु एवं बाल आहार पद्धतियों में सुधार:** केवल स्तनपान (पहले 6 महीने) और समय पर पूरक आहार को बढ़ावा देना।
 - अनावश्यक सी-सेक्शन को कम करना और अस्पतालों में स्तनपान सहायता सुनिश्चित करना।
- **आहार विविधता सुनिश्चित करना:** आईसीडीएस/आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन में अंडे, दालें और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सार्वभौमिक प्रावधान।
 - बायो फोर्टीफिकेशन को बढ़ावा देना (आयरन-समृद्ध बाजरा, जिंक-समृद्ध चावल)।
- **एनीमिया से निपटना:** बड़े पैमाने पर कृमिनाश, आयरन पूरकता और आहार विविधीकरण के साथ एनीमिया मुक्त भारत का विस्तार करना।
- **शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण:** लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

- पोषण जागरूकता को स्कूल पाठ्यक्रम और स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना।
- **जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH):** खुले में शौच और असुरक्षित पेयजल को खत्म करने के लिए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करना।

निष्कर्ष -

भारत में बौनेपन का संकट केवल पोषण का मुद्दा नहीं है—यह मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा, आहार, स्वच्छता और सामाजिक-आर्थिक अभाव के अंतर्संबंधित जाल का परिणाम है। पोषण अभियान ने गति तो प्रदान की, लेकिन इसके लक्ष्य अधूरे रह गए क्योंकि हस्तक्षेप खंडित थे। किशोरियों के स्वास्थ्य, मातृ देखभाल, आहार विविधता, वाश (WASH) और महिला शिक्षा से शुरू होकर एक समग्र, जीवन-चक्र दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी भारत कुपोषण के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे चक्र को तोड़ सकता है और अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है।

स्रोत: [द हिंदू](#)



भारतीय युवा: अमेरिकी टैरिफ का समाधान

संदर्भ

- हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने का निर्णय, जिसमें रूस के साथ भारत के तेल व्यापार से जुड़ा 25% जुर्माना भी शामिल है, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए खतरा है।
 - चूँकि अमेरिका वस्त्र, दवाओं और आईटी सेवाओं के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है, इतने अधिक टैरिफ से भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है, रोजगार की हानि हो सकती है और किसानों की परेशानी भी बढ़ सकती है।

भारत के लिए यह एक चुनौती क्यों है?

- प्रतिस्पर्धात्मकता का क्षरण** - भारतीय सामान वियतनाम या बांग्लादेश के प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में महंगे हो जाते हैं।
- निर्यात पर निर्भरता** - अमेरिका कपड़ा, फार्मा और सेवाओं के लिए एक प्रमुख बाजार है; उच्च टैरिफ से विदेशी मुद्रा आय को नुकसान पहुंचता है।
- कृषि पर दबाव** - अमेरिका बदले में डेयरी और कृषि तक पहुंच चाहता है, जिससे भारत के किसानों को खतरा है।
- सीमित वैश्विक बाजार विकल्प** - चीन वैश्विक निर्यात पर हावी है (वस्त्र 36% बनाम भारत 4.4%)।
- संरचनात्मक कमजोरी** - भारत अभी भी प्रौद्योगिकी-आधारित प्रतिस्पर्धा के बजाय कम लागत वाले श्रम पर निर्भर है।

चीन मॉडल को भारत में क्यों नहीं दोहराया जा सकता?

- विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ:** चीन के सत्तावादी एकदलीय राज्य ने तीव्र निर्णय लेने, बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और असहमति के दमन को सक्षम बनाया।
 - भारत की लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन राजनीति और संघीय ढांचे के कारण शीर्ष-स्तरीय क्रियान्वयन बहुत धीमा है।
- निर्यात-आधारित विकास बनाम घरेलू बाजार की वास्तविकताएं:** चीन तीन दशकों तक कम लागत वाले विनिर्माण और पश्चिम को निर्यात पर निर्भर रहा।
 - संरक्षणवाद के बढ़ने और पश्चिमी मांग में स्थिरता आने के कारण, भारत उसी रास्ते पर निर्भर नहीं रह सकता।
- भूमि एवं श्रम संबंधी बाधाएं:** चीन ने आसान भूमि अधिग्रहण और कम लागत वाले अनुशासित श्रम के माध्यम से विशाल औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया।
 - भारत में भूमि अधिग्रहण को कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; श्रम सुधार अभी भी अधूरे हैं।
- अवसंरचना वित्तपोषण:** चीन ने राज्य-नेतृत्व वाले निवेश, उच्च घरेलू बचत और ऋण-चालित अवसंरचना के माध्यम से विकास को वित्तपोषित किया।
 - भारत की बचत दर कम है, राजकोषीय स्थिति तंग है, तथा सार्वजनिक ऋण बड़े पैमाने पर राज्य-संचालित निवेश को सीमित करता है।
- जनसांख्यिकीय समय:** चीन का जनसांख्यिकीय लाभांश उसके निर्यात में तेजी के दौरान चरम पर था।
 - भारत में युवाओं की संख्या में वृद्धि ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक व्यापार धीमा हो रहा है और स्वचालन के कारण कम कौशल वाली नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है।
- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:** चीन ने राज्य के समर्थन से तेजी से "विश्व के कारखाने" से प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास के महाशक्ति के रूप में रूपांतरण किया।

Table 2: Shares (in %) of these countries in global exports of selected products, 2022

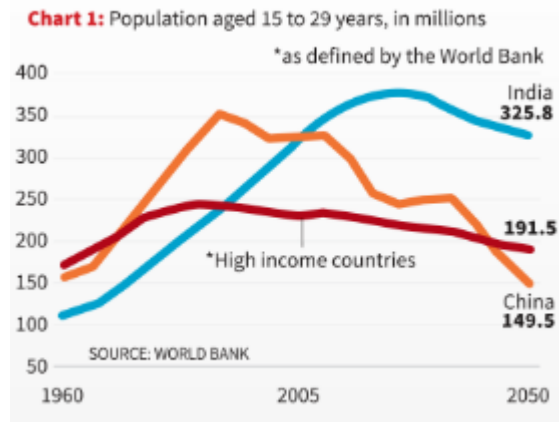
	China	U.S.	India
Textiles and clothing	36.3	3.5	4.4
Footwear	40.9	1.0	1.7
Metals	18.4	5.2	2.5
Chemicals	10.7	10.1	2.6
Machine and electrical equipment	24.9	7.0	0.9

Source: WITS (World Integrated Trade Solution), The World Bank

- भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद का <1% है (चीन के ~2.4% की तुलना में) तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी कमजोर है।

भारतीय युवा कैसे समाधान बन सकते हैं -

- **जनसांख्यिकीय लाभांश लाभ: विश्व में 5 में से 1 युवा भारत में रहता है,** युवा घरेलू उपभोग को बढ़ावा दे सकते हैं और एक कुशल वैश्विक कार्यबल का निर्माण भी कर सकते हैं।
 - चीन की वृद्ध होती जनसंख्या के विपरीत, भारत के पास इस लाभ का लाभ उठाने के लिए अभी भी 2-3 दशकों का समय है।
- **ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए कुशल कार्यबल:** STEM शिक्षा, डिजिटल कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश करके भारत के युवाओं को आईटी, एआई, ग्रीन टेक और बायोटेक उद्योगों की रीढ़ बनाया जा सकता है।
 - इससे भारत को कम लागत वाले विनिर्माण से आगे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
- **घरेलू मांग को बढ़ावा:** युवाओं के वेतन और आय में वृद्धि से एक बड़ा मध्यम वर्ग उपभोक्ता आधार तैयार हो सकता है, जिससे अमेरिका/यूरोप को निर्यात पर निर्भरता कम हो सकती है।
 - घरेलू मांग-संचालित विकास मॉडल की ओर बदलाव का समर्थन करता है।
- **उद्यमिता एवं स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत में पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है, जो बड़े पैमाने पर युवाओं के नेतृत्व में है।
 - नीतिगत समर्थन से युवा उद्यमी नौकरियां पैदा कर सकते हैं, फिनटेक, कृषि-तकनीक, स्वास्थ्य-तकनीक जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर सकते हैं और वैश्विक टैरिफ झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं।
- **नवप्रवर्तन एवं अनुसंधान एवं विकास:** नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फार्मास्यूटिकल्स और अंतरिक्ष तकनीक में युवाओं के नेतृत्व में नवप्रवर्तन से आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत हो सकती है।
 - अमेरिका में भारत के प्रवासी समुदाय की सफलता की कहानी यह दर्शाती है कि कुशल युवा अवसरों के साथ क्या हासिल कर सकते हैं।
- **सॉफ्ट पावर और वैश्विक प्रभाव:** विदेशों में भारत के युवा पेशेवर मस्तिष्क संचार, वैश्विक संपर्क और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं।
 - इस प्रवासी समुदाय का रणनीतिक उपयोग अमेरिका तथा अन्य देशों के साथ भारत की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत कर सकता है।



स्रोत: द हिंदू

मामलों के निपटान की दर बढ़ाने में सर्वोच्च न्यायालय की सफलता एक खाका बन सकती है

संदर्भ

नवंबर 2024 से मई 2025 के बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामलों में 4.83% की कमी की, जिससे केस क्लियरेंस अनुपात (CCR) 106.6% हो गया।

भारत में न्यायिक मामलों का लंबित विवरण -

- **सर्वोच्च न्यायालय:** लगभग 87,000 मामले लंबित हैं (जुलाई 2025), जिनमें से अधिकांश मामले प्रवेश स्तर पर हैं।
- **उच्च न्यायालयों में** लगभग 6.2 मिलियन मामले लंबित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर सबसे अधिक बोझ है।
- **जिला/अधीनस्थ न्यायालय:** लगभग 47 मिलियन मामले, जो लंबित मामलों का लगभग 85% है।
- **लंबी देरी:** 180,000 से अधिक मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, जिनमें से 94% मामले अकेले कलकत्ता उच्च न्यायालय में 50 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।

न्यायिक लंबितता का प्रभाव -

- **"न्याय में देरी न्याय से इनकार है" की भावना का क्षरण** - नागरिकों को समय पर न्याय तक पहुंच से वंचित किया जाता है, जिससे संवैधानिक गारंटी कमजोर होती है।
- **जेलों में अत्यधिक भीड़** - भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 75% से अधिक है, जिसका कारण अक्सर सुनवाई में देरी होती है।
- **आर्थिक लागत** - व्यापारिक विवाद वर्षों तक चलते रहते हैं, जिससे निवेश में बाधा आती है और भारत में व्यापार करने में आसानी बाधित होती है।
- **सामाजिक अन्याय** - कमजोर समूहों को असमान रूप से कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि कानूनी उपचार अप्राप्य या असहनीय हो जाते हैं।
- **विश्वास का क्षरण** - लंबे समय तक विलंब से न्यायपालिका और कानून के शासन में विश्वास कमजोर होता है।
- **सरकारी मुकदमेबाजी का बोझ** - चूंकि सरकार सबसे बड़ी वादी है, इसलिए बार-बार अपील करने से प्रणाली और अधिक अवरुद्ध हो जाती है।

मामले के निपटारे में सर्वोच्च न्यायालय की सफलता कैसे एक खाका बन सकती है

- **कुशल केस प्रबंधन:** विभेदित केस प्रबंधन (DCM) ने त्वरित निपटान के लिए पुराने, छोटे और असूचीबद्ध मामलों की पहचान की।
 - उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय नियमित विवादों को जटिल संवैधानिक मामलों से अलग करके इसका अनुकरण कर सकते हैं।
- **तकनीक-संचालित समाधान:** स्वचालित केस आवंटन के लिए **ICMIS** के उपयोग से मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ।
 - एआई पायलटों (**SUPACE**) ने फाइलिंग संबंधी दोषों को ठीक करने और भारी साक्ष्य को संक्षेप में प्रस्तुत करने में मदद की।
 - निचली अदालतें भी इसी प्रकार की एआई-सहायता प्राप्त स्क्रीनिंग और ई-फाइलिंग प्रणाली अपना सकती हैं।
- **संशोधित केस वर्गीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने **48 श्रेणियां और 182 उप-श्रेणियां शुरू कीं**, जिससे हितधारकों को प्रणालीगत लंबित मामलों की पहचान करने में मदद मिली।
 - उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर लक्षित फास्ट-ट्रैक बेंचों के लिए इसका अनुकरण किया जा सकता है।

- **रजिस्ट्रार न्यायालय एवं दोष निवारण:** समर्पित रजिस्ट्रार पीठों ने प्रक्रियागत विलम्ब को दूर किया।
 - अधीनस्थ न्यायालय भी दोषपूर्ण फाइलिंग को शीघ्र निपटाने के लिए इसी प्रकार की "पूर्व-परीक्षण पीठ" बना सकते हैं।
- **बार-बेंच सहयोग:** तत्काल मामलों के लिए ईमेल अनुरोधों ने मौखिक उल्लेखों का स्थान ले लिया, जिससे न्यायिक समय की बचत हुई।
 - स्थानीय न्यायालय भी निष्पक्षता और दक्षता के लिए एक समान सूचीकरण मानदंड लागू कर सकते हैं।
- **लक्षित निपटान अभियान:** लंबे समय से लंबित विविध मामलों के लिए साप्ताहिक स्लॉट आरक्षित किए गए।
 - जिला अदालतें छोटे-मोटे आपराधिक मामलों, चेक बाउंस या मोटर वाहन दावों के लिए विशेष दिन निर्धारित कर सकती हैं, जिससे बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा हो सके।

निष्कर्ष -

भारत में न्यायिक लंबित मामले एक संरचनात्मक चुनौती हैं जो न्याय तक पहुँच, आर्थिक विकास और जनता के विश्वास के लिए खतरा हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हालिया सफलता दर्शाती है कि डेटा-आधारित सुधार, विभेदित केस प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अपनाना और संस्थागत समन्वय, केस निपटान में उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं। यदि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में भी इन्हें लागू किया जाए, तो ये उपाय भारत की न्याय वितरण प्रणाली को एक सुस्त संस्था से एक उत्तरदायी और सुलभ जन न्यायालय में बदल सकते हैं।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

